श्रीधर सी0 भा0प्र0से0 समाहर्ता पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा दिनांक 27.06.2011 को भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय एवं न्यायालय, नरकटियागंज का किए गए निरीक्षण की टिप्पणी :–

---

1. **समान्य परिचय :–**

जिला मुख्यालय से 38 कि0मी0 की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित नरकटियागंज कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार, पटना की अधिसुचना संख्या 79 दिनांक 23.03.1991 द्वारा अनुमंडल के रुप में बिहार के मानचित्र पर सृजित हुआ।

इस अनुमंडल का कुल क्षेत्रफल 1,34,022.90 हेक्टेयर है तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल अबादी 9,81,506 है। इस अनुमंडल अन्तर्गत 5 अंचल, 98 पंचायत तथा 584 ग्राम है, जिसमें 42 बेचिरागी है।

2. **भवन :–**

वर्तमान में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय नव निर्मित अनुमंडल कार्यालय भवन में चले रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के कार्यालय भवन के केवल ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य हुआ है जबकि विभागीय मानक के अनुसार अनुमंडलीय कार्यालय में दो तल्ले का निर्माण होना है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय, रेकर्ड रूम सहित संचालित करने का प्रावधान किया गया है। निरीक्षण के दौरान वर्तमान निर्मित भवन में बिजली का कार्य अधूरा पाया गया। कतिपय कमरों में दीवाल एवं छत चू रहा है तथा खिड़कियों पर लगे शीशे कतिपय कमरों में टूटा हुआ पागा गया। साथ ही प्रथम तल्ले के वरामदा पूर्ण रूप से खुला हुआ है जिसके कारण कार्यालय असुरक्षित है। जिला स्तरीय तकनीकि पदाधिकारियों की बैठक के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि भवन के शेष निर्माण कार्य हेतु तकनीकि स्वीकृति हेतु प्राक्कलन भेजा गया है। उक्त प्राक्कलन में अनुमंडल कार्यालय के वरामदा का ग्रीलिंग कराने का प्रावधान भी शामिल करने का निदेश दिया गया। साथ ही अविलंब विद्युत कार्य पूर्ण कराकर हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन :– कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया।

निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि वर्तमान कार्यालय भवन का विद्युत कनेक्शन नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज विद्युत विभाग से प्राक्कलन प्राप्त कर विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित कर एक सप्ताह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज।

गौनाहा प्रखंड में पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा प्रखंड प्रखुम का निर्वाचन होने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज स्वयं अनुपस्थित थे। अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को

निदेश दिया गया कि उपरोक्त निदेशों से अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत करायेंगे तथा समन्वय स्थापित दिए गए निदेश का अनुपालन/अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल न्यायालय के साथ संबद्ध वकीलों की कतिपय अस्थायी संरचनाएं देखा गया है। परिसर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का नव निर्मित भवन अवस्थित है परंतु अभी भी पशु चिकित्सालय पुराने भवने में संचालित है। नए भवन को भवन निर्माण विभाग से हस्तांतरित कराकर पशु चिकित्सालय को हस्तांतरित कराने का निदेश दिया गया।

अनुमंडल कार्यालय के प्रवेश हेतु एस0एफ0सी0 गोदाम और प्रखंड गोदाम के बीच रास्ता एक मात्र रास्ता है जो वर्तमान में कच्चा है। पूर्ण रूप से पक्का कराने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के निर्मित आवास अनुपलब्ध है। अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के साथ–साथ अनुमंडल स्तर के अन्य कर्मियों के आवास निर्माण हेतु अनुमंडल कार्यालय के पीछे पूर्व से ही जमीन चिन्हित किया हुआ है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण से संपर्क कर आवासों के प्राक्कलन तथा अनुमंडल कार्यालय की चहारदीवारी हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने का निदेश दिया गया।

3. स्थापना :–

अनुमंडल कार्यालय का सृजन अधिसूचना संख्या 79, दिनांक 23.03.1991 द्वारा हुआ है और दिनांक 01.04.1991 से कार्यालय कार्यरत है। इसके बावजूद इस अनुमंडल में सभी पदों का वेतन 2029 शीर्ष से निकासी की जा रही है जबकि अनुमंडल पदाधिकारी की स्थापना शीर्ष 2053 के उप शीर्ष 94 के अंतर्गत की जानी है। इस कार्यालय में प्रधान लिपिक और लिपिक की स्थापना 2029 शीर्ष अंतर्गत है तथा दो लिपिकों की स्थापना शीर्ष 3435 आपूर्ति के अंतर्गत है। पूर्व में तत्कालीन जिलाधिकारी डा0 बी0 राजेन्दर के द्वारा अनुमंडल के निरीक्षण के दौरान 2053 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने हेतु पत्राचार करने का निदेश दिया गया था। प्रभारी पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार कर शीर्ष 2053 में पदों की स्वीकृति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्मार प्रत्येक सप्ताह जिला स्थापना उपसमाहर्त्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, बेतिया।

(क) पदाधिकारियों की स्थापना :–

वर्तमान में श्री शंभु शरण पाण्डेय दिनांक 04.04.2010 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित हैं। इनसे पूर्व पदस्थापित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है :–

क्र	पदाधिकारी का नाम	कब से कब तक
1	2	3
1	श्री शिवेन्द्र त्रिपाठी बि0प्र0से0	.....
2	श्री अशोक त्रिपाठी, बि0प्र0से0 प्रभार	05.12.2007 से 13.01.2009 तक

3	श्रीकांत द्विवेदी, बि0प्र0से0	13.01.2009 से 31.07.2009 तक
4	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, बि0प्र0से0 (अनु0 पदा0, प्रभार)	31.07.2009 से 19.09.2009 तक
5	श्री दिनेश कुमार राय, बि0प्र0से0, (अनु0 पदा0, प्रभार)	19.09.2009 से 04.04.2010 तक
6	श्री शंभु शरण पाण्डेय, बि0प्र0से0	04.04.2010 .....

(ख) लिपिक :–

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय हेतु। अनुमंडल राजस्व शाखा में पदस्थापित लिपिक श्री अंजनी कुमार एवं श्री उपेन्द्र त्रिपाठी द्वारा भूमि सुधार कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करते हैं। आगे से भी यही कर्मी कार्यों का निष्पादन करते रहेंगे।

4. पूर्व निरीक्षण :–

दिनांक 01.04.1991 में अनुमंडल सृजन के उपरांत जिला के किसी भी वरीय पदाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। 27 दिसम्बर 2010 को समाहर्ता प0 चम्पारण, बेतिया द्वारा अनुमंडल कार्यालय निरीक्षण के दौरान राजस्व शाखा का भी निरीक्षण संयुक्त रुप से किया गया जिसका अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। उक्त निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता विगत एक साल से पदस्थापित हैं। एक साल के दौरान इनके द्वारा कितने अंचल कार्यालय, हल्का कार्यालय का निरीक्षण तथा अन्य प्रकार के योजनाओं का निरीक्षण किया गया, टिप्पणी में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार के निदेश के आलोक में अधीनस्थ सभी अंचल/हल्का एवं अन्य कार्यालय का निरीक्षण रोस्टर तैयार कर एक पक्ष के अंदर उपलब्ध करायेंगे तथा 6 माह के अंदर अधीनस्थ सभी कर्मचारियों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में वरीय पदाधिकारियों को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. पत्राचार :–

आगत पत्रों की पंजी पूर्व से संधारित नहीं है। माह नवम्बर 2010 से संधारित की गई है। निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है। अनुमंडलीय सामान्य प्रशाखा द्वारा प्राप्त पत्रों की पंजी में दर्ज कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है।

क0 सं0	वर्ष	आगत पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
1	2009	–	476
2	2010	24	745
3	2011	100	389

6. अनुक्रमणिका पंजी :–

अनुक्रमणिका पंजी संधारित है।

7. कर्म पुस्तिका :–

राजस्व शाखा के लिपिक श्री अंजनी कुमार जो जुलाई, 2009 से इस कार्यालय में पदस्थापित हैं के कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया। पृष्ठ प्रमाणपत्र अंकित है। फरवरी, 2011 से

संधारित है। विहित प्रपत्र में संधारित है। अवलोकन से स्पष्ट है कि माह के अंत में निष्पादन सँ. संबंधित विवरणी अंकित नहीं है। अतः पूर्व माह के निष्पादन हेतु लंबित पत्रों को वर्तमान माह के अंतिम में निष्पादन/लंबित अंकित कर वर्तमान माह में लंबित पत्रों के साथ जोड़ कर कुल निष्पादन हेतु लंबित पत्रों की संख्या अंकित करें। इसी प्रपत्र में लॉग बुक संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार श्री उपेन्द्र त्रिपाठी के कर्म पुस्तिका का अवलोकन किया। विहित प्रपत्र में तैयार किया हुआ नहीं पाया गया। 10 दिन के अंदर विहित प्रपत्र में कर्म पुस्तिका संधारित कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता उपलब्ध करायेंगे।

8. सैरात :–

कार्यालय में सैरात पंजी संधारित है। सैरात पंजी में अंचलवार पृष्ठ आवंटित है। सैरात पंजी में प्रत्येक सैरात के लिए एक अलग पृष्ठ आवंटित होता है परंतु पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि एक ही पृष्ठ में कई सैरात अंकित है।

सैरात पंजी का अवलोकन किया। गौनाहा प्रखंड के भिखनाठोरी मेला की बंदोबस्ती वर्ष 2011–12 से संबंधित प्रविष्टि पृष्ठ संख्या 46 पर है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 से इस सैरात से कोई वसूली नहीं की गयी है जबकि 2010–11 में 15,000 (पंद्रह हजार) की वसूली की प्रविष्टि अंकित है। इस संबंध में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता छानबीन कर स्पष्ट करेंगे कि वर्ष 2009–10 में वसूली की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है। भिखनाठोरी के क्षेत्र वन विभाग के अधिसूचित क्षेत्र होने से संबंधित विवाद के बारे में दूरभाष पर प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि उक्त मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी जो अप्राप्त है। एक पक्ष के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

लौरिया अंचल के शनिचरी बाजार की बंदोबस्ती की प्रविष्टि के सामने परता घोषित करने हेतु अभियुक्ति अंकित है। परता घोषित करने से पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेश के आलोक में दो राजस्व पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करना अनिवार्य है। इस संबंध में बताया गया कि पूर्व में अभिलेख जिला राजस्व शाखा को भेजा गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा से संपर्क कर पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की छानबीन करेंगे तथा स्वयं स्थल निरीक्षण कर विभागीय निदेश के आलोक में सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे तथा मामला का जिला स्तर पर निष्पादन एक पक्ष के अंदर सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही इस अनुमंडल अंतर्गत अन्य अंचल में यदि कोई परता घोषित करने हेतु सैरात प्रस्तावित है तो उसके साथ विभागीय निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा बताया गया कि सुरक्षित जमा निर्धारण हेतु इस अनुमंडल अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। अनुमंडल अंतर्गत कुल सैरातों की संख्या एवं बंदोवस्त सैरातों की संख्या निम्नतवत् है :–

कमांक	अंचल का नाम	कुल सैरातों की संख्या	बंदोबस्त सैरात की संख्या	बन्दोबस्त के लिए लंबित सैरातों की संख्या
1	2	3	4	0
1	नरकटियागंज	11	11	0
2	गौनाहा	17	16	1
3	लौरिया	11	11	0
4	मैनाटांड़	14	14	0
5	सिकटा	18	18	0

9. दाखिल खारिज अपील वाद पंजी :–

दाखिल खारिज अपील वाद पंजी संधारित है। कुल 16 मामले निष्पादन हेतु लंबित प्रतिवेदित है। लंबित मामलों का निष्पादन 45 दिनों में करने का निदेश दिया गया।

10. बटाई वाद पंजी :–

बटाई वाद पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 (ई) के अंतर्गत बटाईदारी के अंतर्गत कुल 3 मामले लंबित प्रतिवेदित है। लंबित मामलों को नियमानुसार निष्पादित करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस धारा के अंतर्गत कुछ वाद अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के न्यायालय में चल रहा है। चूंकि पूर्णकालिक भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पदस्थापित हैं, अतः जिन मामलों में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को मूल रूप से शक्ति प्रदत्त है उन सभी मामलों से संबंधित वादों के अभिलेख अनुमंडल न्यायालय से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय को हस्तांतरित करते हुए तत्संबंधी सूचना जिला विधि शाखा को देना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज।

11. विविध वाद पंजी :–

विविध वाद पंजी संधारित है। कुल 11 मामले लंबित दर्शाया गया है।

11.1 विविध वाद पंजी जो संधारित है में अंकित वाद संख्या 4/2011–12 मुसमात गोदावरी देवी बनाम रमेश प्रसाद एवं अन्य के अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद अंचल कार्यालय, गौनाहा के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या **1472, दिनांक 22.03.2011 के** आलोक में दायर किया गया अपील वाद है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह वाद दाखिल खारिज अपील वाद है तथा इसे दाखिल खारिज वाद पंजी में दर्ज की जानी है।

11.2 वाद संख्या 1/2011–12 विविध वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह वाद सिकटा अंचल में संबंधित वादी के द्वारा जमाबंदी कायम करने से संबंधित वाद के निष्पादन से संबंधित है जो स्पष्ट रूप से दाखिल खारिज से संबंधित है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि अपने न्यायालय अंतर्गत विविध वाद के रूप में संधारित सभी अभिलेखों का अध्ययन कर सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संचालित वादों के रूप में परिवर्तित करेंगे और संबंधित पंजी में प्रविष्टि कर नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। जिन

मामलों में स्पष्ट रूप से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को शक्ति प्रदत्त नहीं है वैसे सभी मामलों से संबंधित आवेदनों को प्रविष्टि के बिंदु पर ही सुनकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

12. जमाबंदी सुधार वाद पंजी :–

जमाबंदी सुधार वाद शीर्ष में 9 मामले लंबित प्रतिवेदित है।

12.1 वाद संख्या 49/2010–11 के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा युक्तिसंगत आदेश पारित किया जा चुका है।

12.2 वाद संख्या 50/2010–11 के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में मूल आवेदन के साथ भूमि से संबंधी विवरणी आवेदक के द्वारा जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर वाद प्रारंभ कर दिया गया है।

12.3 वाद संख्या 51/2010–11 वाद के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन का निबंधन 1955 में होने का दावा आवेदक करता है तथा निबंधन के समय निबंधन के कागज में 7 कठा, 4 धूर के बजाय 4 कट्ठा के ही अंकित होने और उसी के आधार पर 4 कठा को म्यूटेशन होने की बात अंकित है। अभिलेख में न तो वादी के द्वारा निबंधन दस्तावेज की सत्यापित प्रति दाखिल किया गया है न ही प्रश्नगत जमीन का दाखल कब्जा का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि निबंधन दस्तावेज के प्रविष्टि को सुधारने की शक्ति राजस्व न्यायालय को प्रदत्त नहीं है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जमाबंदी सुधार वाद नाम पर दायर की जा रही आवेदनों को प्रविष्टि से पूर्व सावधानी पूर्वक अध्ययन कर नियमानुसार प्रविष्टि करने की आवश्यकता है। साथ ही स्पष्ट करना है कि जमाबंदी के सुधार करने हेतु Bihar Land Holdings (Maintenance of Records Act) के अंतर्गत नामांतरण का प्रावधान है। अतः जमाबंदी सुधार के नाम पर अलग से वादों की प्रविष्टि करने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है।

13. भूमि बंदोबस्त वाद पंजी :–

भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित 12 वाद लंबित प्रतिवेदित है। लंबित सभी वादों का नियमानुसार एक माह के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। महादलित के लिए जमीन बंदोबस्ती हेतु 36 वाद अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के द्वारा अग्रसारित किया गया है। उन सभी मामलों को भी आगामी इंदिरा आवास स्वीकृति शिविर से पूर्व एक पक्ष के अंदर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन :– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज।

14. लगान निर्धारण वाद पंजी :–

लगान निर्धारण हेतु कोई मामला लंबित नहीं प्रतिवेदित है। लगान निर्धारण का प्रावधान बिहार काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत बखास्त जमीन, बेलगान जमीन पर नियमानुसार लगान निर्धारण करने का प्रावधान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि लगान निर्धारण करने के पूर्व खतियानी रैयत से संबंधित सूचनाओं का स्पष्ट सत्यापन कराने की आवश्यकता

है ताकि अवैध रूप से लगान निर्धारण कराकर लगान निर्धारण आदेश के आधार पर अवैध रूप से जमीन का निजी व्यक्ति के द्वारा दखल नहीं किया जा सके।

15. भू–हदबंदी 16 (3) वाद पंजी :–

भू–हदबंदी की धारा 16 (3) के अंतर्गत पार्श्ववर्ती रैयत या सह–हिस्सेदार को उनके चौहदी के जमीन पर प्रथम क्रय अधिकार घोषित किया गया है। अतः भू–हदबंदी की धारा 16 (3) के अंतर्गत वादों के निष्पादन में स्थापित विधि के अनुसार कार्रवाई अपेक्षित है। भू–हदबंदी की धारा 16 (3) अंतर्गत कुल 5 वाद लंबित है।

15.1 वाद संख्या 1/2011–12 के अभिलेख का अवलोकन किया। वादी के द्वारा पार्श्ववादी हिस्सेदार होने के कारण बिक्री जमीन के 10 प्रतिशत अधिक राशि कोषागार में जमा कराकर चलान के मूल प्रति के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में जमा कराया गया है। वाद सुनवाई प्रक्रियाधीन है। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया है। नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

16. संदिग्ध जमाबंदी वाद पंजी :–

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय में संदिग्ध जमाबंदी के 34 मामले लंबित हैं। वाद संख्या 15/2009–10 के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अंचल अधिकारी, लौरिया के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है जिसमें गैरमजरूआ मालिक जमीन पर 34 व्यक्तियों का सृजित जमाबंदी प्रथम दृष्टि संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है जबकि अंचल अधिकारी के द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में इसमें से 3 मामलों में दाखिल–खारिज वाद संख्या 306, 307 एवं 308 सभी वर्ष 1990–91 अंकित है। अभिलेख के आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले में नोटिस निर्गत कर तामिला प्राप्त किया गया तथा वाद में एवं जनवरी, 2010 तक हाजरी दी गयी है। तदुपरांत लगातार अनुपस्थित हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में न्यायालय स्तर पर भी स्थलीय जांच एवं अभिलेखों का जांच नहीं कराया गया। अतः इस प्रकार के सभी मामलों में युक्तिसंगत होगा कि जमाबंदी सृजन का आधार तत्संबंधी मूल अभिलेख यदि बंदोबस्ती के आधार पर बंदोबस्ती सृजित है तो अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अंचल अधिकारी के कार्यालय में संधारित पंजी का सघन अध्ययन कर यदि किसी मामले में बंदोबस्ती गलत तरीके से किया गया तो बंदोबस्ती रद्द करने का या जमीन पर गलत ढंग से पट्टा या दानपत्र निर्गत किया गया है तो उसको सुसंगत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रद्द कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में राजस्व संबंधी विभिन्न वादों का प्रगति प्रतिवेदन दिनांक 25.06.11 तक

क्र.	वाद का प्रकार	01.04.11 को लंबित वाद	01.04.11 से विगत माह तक लंबित वाद	वर्त्तमान माह में दायर वाद	निष्पादित हेतु कुल वाद	01.04.11 से विगत माह तक निष्पादित वाद	वर्त्तमान माह में निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वाद	कुल लंबित वाद	अभियुक्ति
1	दाखिल–खारिज अपील	16	1	-	17	-	1	1	16	
2	जमाबन्दी सुधार	13	-	-	13	-	4	4	9	
3	विविध वाद	8	2	2	12	1	-	1	11	
4	बन्दोबस्ती	12	-	-	12	-	-	-	12	
5	बटाई वाद	12	1	-	13	-	11	11	3	
6	भू–हदबन्दी वाद 16(3)	3	2	-	5	-	-	-	5	
7	संदिग्ध जमावंदी	31	1	3	34	-	-	-	34	
8	लगान निर्धारण	-	4	-	4	4	-	4	Nil	
9	संदिग्ध खास महाल	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	न्यूनतम मजदूरी	-	-	-	-	-	-	-	-	

17. बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009 वाद पंजी :–

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम में 113 मामलों में से 55 मामले निष्पादित हैं। जिन मामलों में मापी कराने की आवश्यकता है और अमीन के अभाव में या अमीन की कमी के कारण लंबित ह। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता 3 दिन के अंदर अंचलवार वर्गीकरण कर जिला को सूचित करेंगे। जिला राजस्व शाखा द्वारा अमीनों की प्रतिनियुक्ति कर मापी कार्य पूर्ण कराया जायेगा। साथ ही विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

18. भू–हदबंदी :–

भू–हदबंदी के कुल 23 मामले लंबित प्रतिवेदित है। ये सभी मामले भू–हदबंदी अधिनियम की धारा 10 (3) के अधीन है। अनुमंडल भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता न्यायालय में जो मामले चल रहे हैं वे निम्नवत हैं :–

क्र	वाद संख्या (धारा)	पक्षकार	अंचल	कुल रकबा (एकड़ में)	अधिशेष घोषित रकबा(ए.)	आपत्ति का प्रकार	निष्पादन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	51/75–76 धारा 10 (3)	मो0 इसरायल मियां	मैनाटांड़	63.88	1.32	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
2	54/73–74 धारा 10 (3)	फते महम्मद खां	नरकटियागंज	89.06	58.57	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
3	23/75–76 धारा 10 (3)	शेख खलील	मैनाटांड़	102.32	62.20	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
4	138/75–76 धारा 10 (3)	शेख इसहाक	नरकटियागंज	61.36	24.59	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
5	51/73–74 धारा 10 (3)	अब्दुल गफूर	नरकटियागंज	81.87	33.02	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
6	129/75–76 धारा 10 (3)	सोना देवी	गौनाहा	43.42	27.17	धारा 10 (3)	सुनवाई में
7	20/73–74 धारा 10 (3)	शेख निजामुद्दीन	सिकटा	93.22	8.59	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में

8	65/75–76 धारा 10 (3)	महम्मदीन मियां	नरकटियागंज	103.35 1/2	43.36	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
9	219/78–79 धारा 10 (3)	अब्दुल शमीम	नरकटियागंज	25.75	0.47	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
10	85/81–82 धारा 10 (3)	शेख सलीम	नरकटियागंज	92.39	57.37	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
11	35/82–83 धारा 10 (3)	रमेश प्रसाद वर्मा	गौनाहा नरकटियागंज	95.59	65.59	धास 10 (3)	सुनवाई में
12	218/75–76 धारा 10 (3)	शहाबुद्दीन बारी	गौनाहा नरकटियागंज	182.97	167.97	मुस्लिम एक्ट के अंतर्गत	सुनवाई में
13	35/39/73–74 धारा 10 (3)	शैलबाला वर्मा	गौनाहा नरकटियागंज	168.75	148.75	धारा 10 (3)	सुनवाई में
14	10/76–77 धारा 10 (3)	सावित्री देवी	लौरिया	166.86	46.40	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
15	9/74–75 धारा 10 (3)	श्याम रतन गिरि	मैनाटांड़ सिकटा नरकटियागंज	100.00	16.15	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
16	14/6/73–74 धारा 10 (3)	लक्ष्मीकांत राय	लौरिया	94.71	64.71	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
17	56/74–75 धारा 10 (3)	रामचन्द्र साह	नरकटियागंज	227.17	173.45	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
18	81/75–76 धारा 10 (3)	बाबु काशी राय	नरकटियागंज	31.18/2	11.51	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
19	203/75–76 धारा 10 (3)	गोपाल जी साह	नरकटियागंज	172.70	157.70	रिमांड होकर धारा 10 (3)	सुनवाई में
20	20/73–74 धारा 10 (3)	अलीहसन मियां	नरकटियागंज	68.57	8.50	उच्चतम न्यायालय से रिमांड	सुनवाई में
21	60/75–76 धारा 10 (3)	दुर्गा मिश्रा	नरकटियागंज	188	12.43	रिमांड के आधार पर धारा 10 (3)	सुनवाई में
22	162/75–76 धारा 10 (3)	बसउद्दीन	लौरिया	97.48	–	रिमांड के आधार पर धारा 10 (3)	सुनवाई में
23	5137/75–76 धारा 10 (3)	बुनियाद अली	नरकटियागंज	210.25	196.39	उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में रिमांड पर	सुनवाई में

उपरोक्त से स्पष्ट है कि इस अनुमंडल से संबंधित कतिपय मामले निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है। अतः अभियान चलाकर 3 महीने के अंदर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

19. नीलाम–पत्र वाद :–

मैनाटांड़ एवं सिकटा अंचल से कुल 1394 निलाम पत्र प्राप्त हुए, जिन्हें पंजी 10 में पंजीकृत कर दिया गया है। परन्तु मात्र 985 अभिलेखों की सुनवाई की जा रही है। कुल अभिलेखों में सन्निहित राशि रुपये 14051083.51 है जिसके विरुद्ध 14 अभिलेखों की सन्निहित राशि 1069052.88 वसूली की जा चुकी है।

नीलाम–पत्र वाद से संबंधित मामले में निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है :–

1. अधियाची विभागवार 20 बड़े बकायादारों को चिन्हित करें। सबसे पहले अधियाची विभाग से केश की जांच करें। एक लाख से उपर के मामले को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें।

2. बैंक का पंजी 9 एवं निलाम पत्र वाद पदाधिकारी का पंजी 10 का मिलान अंचलवार तिथि निर्धारित कर करें। जिन मामलों का निष्पादन हो चुका है उसे उस सूची से हटाएं एवं लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें।
3. अनुमंडलीय भूमि सुधार कार्यालय में कुल वाद 1394 है जिसमें वर्तमान में संचालित वाद 984 प्रतिवेदित है। शेष सभी मामले जो सुनवाई में नहीं है के सुनवाई प्रारंभ करें तथा राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

20. भूमि अधिग्रहण/हस्तांतरण पंजी :–

पंजी संधारित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि कतिपय अंचलों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विद्यालय, आंगनबाड़ी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं सामुदायिक भवन इत्यादि के लिए जमीन अनुपलब्ध रहने की सूचना के आलोक में अंचल अधिकारी को जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज अपने अनुमंडल अंतर्गत अंचलवार चिन्हित कर जमीन चयन कराकर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

21. माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित मामले :–

यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। इस कार्यालय में C.W.J.C. का एक मामला लंबित है। एक सप्ताह के अंदर निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

22. लोकसभा/विधानसभा प्रश्न :–

यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। लोक सभा/विधान सभा प्रश्न से संबंधित कोई भी मामला लंबित नहीं है।

23. सूचना के अधिकार :–

यह पंजी संधारित है एवं अद्यतन है। सूचना के अधिकार का कोई भी मामला लंबित नहीं है। भ्रमण के दौरान पाया गया कि कार्यालय में विभिन्न शाखाओं के लोक सूचना पदाधिकारी/सहायक लोक सूचना पदाधिकारी का विवरणी दीवाल पर प्रदर्शित नहीं है। विभिन्न शाखाओं के लिए कौन पदाधिकारी नामित है, उनका नाम, पदनाम मोबाईल नम्बर के साथ दीवार लेखन सुनिश्चित करायें।

अनुपालन :– अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज।

24. जनशिकायत :–

जनशिकायतों में मुख्यमंत्री जनशिकायत कोषांग/मुख्य सचिव जनशिकायत कोषांग के यहां से प्राप्त 11 आवेदनों में से 2 का निष्पादन हो चुका है। 10 अंचल स्तर पर लंबित है। वह किसी अंचल अमीन या कर्मचारी के स्तर पर लंबित है। प्रत्येक सप्ताह अंचल में आयोजित बैठक के अनुसार अंचलवार रोस्टर तैयार कर अंचल में ही भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कैंप कोर्ट कर मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें। जिला जनता दरबार से प्राप्त 52 मामले अंचल स्तर पर लंबित हैं। 52 मामले में से

11 मामले में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अंतर्गत सुनवाई की जा रही है। शेष मामले अंचल स्तर पर लंबित है।

25. लोकायुक्त :–

लोकायुक्त या निगरानी विभाग से प्राप्त कोई भी शिकायत की जांच निम्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना है। उन सभी मामलों में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता स्वयं जांच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। वर्तमान में कोई मामला लंबित प्रतिवेदन नहीं है।

26. आधारभूत संरचना :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कार्यालय/न्यायालय को सुदृढ़ करने हेतु 2,72,4,16.00 (दो लाख, बहतर हजार, चार सौ, सोलह) रू0 आवंटन उपलब्ध कराया गया है। आवंटन अनुमंडल स्तर पर प्राप्त हुआ है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटो स्टेट मशीन, फैक्स मशीन, कम्प्यूटर टेबल का क्रय किया जा चुका है। न्यायालय हेतु टेबुल, कुर्सी, गोदरेज आलमीरा, स्टूल, स्टील ट्रंक और पंखे का क्रय किया गया है। मात्र पीठासीन पदाधिकारी का कुर्सी जिसके लिए मो0 10.400 रू0 आवंटित है, लंबित है। सामग्री का क्रय किया जा चुका है। राशि का समायोजन लंबित है। कानूनी पुस्तकों के लिए 5,000.00 रू0 का आवंटन दिया गया है। उक्त राशि से क्रय की गयी पुस्तकों का लाईब्रेरी के लिए स्टांप तैयार करेंगे जिसमें कार्यालय का नाम, नम्बर अंकित होगा। सभी पुस्तकों पर कार्यालय का नाम एवं नम्बर का मुहर लगाकर संधारित करें। किताबों को संधारित करने के लिए आलमीरा संधारित करेंगे।

कम्प्यूटर एवं उपस्कर क्रय करने के बावजूद बिजली का कनेक्शन नहीं रहने के कारण उपयोग में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः उपलब्ध कार्यालय आवंटन से बिजली का कनेक्शन एक सप्ताह के अंदर प्राप्त करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के लिए अलग इजलास की व्यवस्था नहीं किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के न्यायालय में इजलास स्थापित है। उसी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।

27. निष्कर्ष :–

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, नरकटियागंज को अपने कार्यालय में कार्य निष्पादन की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। एक साल से अधिक समय से पदस्थापित होने के बावजूद अधीनस्थ अंचल कार्यालय या हल्का का निरीक्षण करने का कोई प्रमाण नहीं है। नियमित निरीक्षण करने का निदेश दिया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सभी अनुमंडलों में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पद पर अलग से पदस्थापित करते हुए राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने के लिए आवंटन उपलब्ध कराया गया है। साथ ही सरकार के द्वारा बिहार भूमि सुधार निराकरण अधिनियम को प्रभावी किया गया है जिसके कार्यान्वयन में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह आवश्यक है कि अंचलों में कैम्प कोर्ट करने हेतु तिथि निर्धारित कर रोस्टर तैयार करें एवं संबंधित अंचल के मामलों का निष्पादन त्वरित गति से सुनिश्चित करें। साथ ही अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का कार्य निष्पादन का सघन अनुश्रवण कर राजस्व प्रशासन को सुदृढ़

करने में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। भूमि विवादों के निष्पादन में बिलंब के कारण अनेक बार विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः अंचलवार भूमि विवादों की पंजी एक माह के अंदर तैयार कर चिन्हित भूमि विवादों में अंचल/थाना स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 212 /गो0, दिनांक 07/07/2011

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प0 चम्पारण/सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प0 चम्पारण/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, बेतिया/जिला निलाम पत्र वाद पदाधिकारी, बेतिया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व प्रशाखा, बेतिया/आई0टी0मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, बेतिया/उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 212 /गो0, दिनांक ~~7.7.2011~~ 07/2011

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीधर सी०)
समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

(12)
8/7